कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय {सीपीसी} की बैठक सं0 66/2000 दिनांक 8-8-2000 को प्रात: 11·00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री के·पी· सिंघल, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री ए·के· गुप्ता, निदेशक {आयोजना} जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री पी·आर· शर्मा, निदेशक {वित्त} जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री एस·एल· माथुर, निदेशक {अभियांत्रिकी} जविप्रा, जयपुर ।
5- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक {कांपरेटिव} जविप्रा,जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारियों ने भी भाग लिया -

1- श्री पी·एस· राठौड़, उपायुक्त, जोन ए-1, जविप्रा,जयपुर ।
2- श्री वासुदेव शर्मा, उपायुक्त, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक {कांपरेटिव} जविप्रा,जयपुर ।
5- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक {कांपरेटिव} जविप्रा, जयपुर ।
6- श्री ए·डी· टांक, सहायक नगर नियोजक,जोन ए-1, जविप्रा, जयपुर ।

{1} बीपीसी-II {सीपीसी}/{कांपरेटिव} की बैठक सं0 60/2000 दिनांक 10-7-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :-
समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

{2} बीपीसी-II {सीपीसी} {कांपरेटिव} की बैठक सं0 61/2000 दिनांक 15-7-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :-
समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

{3} बीपीसी-II {सीपीसी}{कांपरेटिव {की बैठक सं0 62/2000 दिनांक 22-7-2000 के कार्यवाही विवरण की समिति के पुष्टिकरण हेतु :-
समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

{4} बीपीसी-II {सीपीसी}{कांपरेटिव} की बैठक सं0 63/2000 दिनांक 24-7-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :-
समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

(5) बीपीसी-।। (सीपीसी) (कापरेटिव) की बैठक सं0 64/2000 दिनांक 27-7-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :-
समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

(6) विभिन्न उपायुक्त जोन्स द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये -

6·1- एजेण्डा सं0 66/2000-1 :- न्यूपिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बरकत नगर (जोन बी-2) :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

1· बीपीसी-।। (सीपीसी) (कापरेटिव) की बैठक सं0 63/2000 दिनांक 24-7-2000 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जयपुर दिल्ली रेल्वे मार्ग के ~~दक्षिण~~ पश्चिम में स्थित सड़क की चौड़ाई रेल्वे लाईन के मध्य से 90 फिट रखते हुए भूखण्ड सं0 186, 187, 190, 191 ए, 195 व 196 को अनुमोदित किया गया ।

2· भूखण्ड सं0 10 से 15 के सामने सड़क की चौड़ाई 30 फिट रखते हुए इनका आकार 60` x 90` के बजाय 60` x 75` मौके के अनुसार स्वीकृत किया गया ।

3· भूखण्ड सं0 480 और 505 ए को अनुमोदित किया गया ।

6·2- एजेण्डा सं0 66/2000- 2 :- गुरू जम्भेश्वर नगर "ए" के भूखण्ड सं0 124 के आकार में परिवर्तन बाबत (जोन बी-2):-

उपायुक्त ,बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति के आधार पर भूखण्ड सं0 124 का आकार 88` x 70` के बजाय 95` x 70` का अनुमोदित किया गया ।

6·3- एजेण्डा सं0 66/2000- 3 :- सुभाष सिंधु गृ· नि·स· समिति की योजना नम्बर 12 के भूखण्ड सं0 33 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने बाबत (जोन बी-2):-

✓

उपायुक्त, बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति के आधार पर विचार-विमर्श किया गया और उपायुक्त, बी-2, जोनल अभियंता, बी-2 एवं सहायक नगर नियोजक, बी-2 द्वारा प्रस्तुत मौके की रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया ।

....3

242

6·4- एजेण्डा सं0 66/2000- 4 :- अपोलो नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गंगा विहार{ जोन बी-2 } :-

उपायुक्त, बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श दिनांक 10-9-85 के रूपान्तरण आदेश की अनुपालना में भूखण्ड सं0 22 से 29, 32 से 39, 121 से 124, 19 से 21 व 92 से 94 कुल 26 भूखण्डों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

6·5- एजेण्डा सं0 66/2000-5 :- प्रताप नगर हा·को·सोसायटी की योजना दीपक कालोनी {जोन बी-2} :-

उपायुक्त, बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया और वाद विचार-विमर्श योजना के पूर्व में गैर अनुमोदित ब्लाक को निम्नांकित निर्णयों के अनुसार अनुमोदित किया गया :-

1· भूखण्ड सं0 15, 18,21,22,27 एवं भूखण्ड सं0 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 के मध्य दर्शित सड़क को लवकुश नगर की 30 फिट सड़क से एलाइन करते हुए अनुमोदित किया गया ।
2· भूखण्ड सं0 17ए,17, 18 व 19,20, 21 के मध्य स्थित सड़क को इसकी मौके की स्थिति देखते हुए 20 फिट अनुमोदित किया गया ।
3· भूखण्ड सं0 22, 23 तथा 25,26, 27 के मध्य स्थित सड़क को 20 फिट अनुमोदित किया गया ।
4· भूखण्ड सं0 11, 4 तथा 12, 3 के मध्य स्थित सड़क को 20 फिट अनुमोदित किया गया ।
5· भूखण्ड सं0 8 व 7 जो इस योजना में दर्शाये गये है वो इस योजना का भाग न होकर राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना लवकुश नगर -11 के भूखण्ड सं0 83 व 84 है । अत: दीपक कालोनी के भूखण्ड सं0 8 व 7 को अनुमोदित नहीं किया गया ।

6·6 - एजेण्डा सं0 66/2000- 6 :- हथरोई गढ़ी गृ·नि·स· समिति की योजना कीर्ति नगर-II के खसरा नं0 16, 17 ग्राम- मानपुर देवरी की योजना अनुमोदन के संबंध में {जोन बी-2} :-

समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये एजेण्डा तथा उपायुक्त, बी-2 द्वारा

....4

243

बताये गये तथ्यों पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1- योजना में दर्शायी गई 20 फिट व 25 फिट चौड़ी सड़कों को 30 फिट चौड़ाई की रखी जाये । तदनुसार भूखण्डों की गहराई दोनों ओर से आधी-आधी कम की जाये ।

2- मौके की स्थिति के अनुसार योजना में लगभग सभी भूखण्डों पर निर्माण कार्य किया जा चुका है अतः 60% से अधिक आवासीय क्षेत्रफल को राजकीय आदेश दिनांक 10-7-99 के अनुसरण में शिथिलता प्रदान करते हुए स्वीकृत किया गया ।

3- सुभाष सिन्धी हा॰को॰सो॰ की स्कीम नं0 5 में इस क्षेत्र में कुछ भूखण्ड दर्शाये गये है । अतः उपायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि एक ही भूखण्ड के दो पट्टे जारी न हो जाये ।

4- व्यावसायिक प्रयोजन के भूखण्ड को अनुमोदित नहीं किया गया ।

उपरोक्त संशोधनों के साथ योजना को अनुमोदित किया गया ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव
बीपीसी-।। {सीपीसी}{कॉपरेटिव}
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: D. 53
दिनांक : 25-8. 2000
प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक{आयोजना}/{विधि}/{वित्त}/{अभियांत्रिकी}जविप्रा,जयपुर।
4- अति॰आयुक्त{भूमि एवं योजनाएं} जविप्रा,जयपुर ।
5- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन बी-। एवं बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
6- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव
बीपीसी-।। {कॉपरेटिव}